

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—९
संख्या— 465 / XXVII(9) / सूआ०आ० / 2008
देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर 2008

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्या-22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के राज्य स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

राज्य स्तर

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	उप-महानिरीक्षक निबन्धन मुख्यालय, देहरादून	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय देहरादून	एडिशनल कमिशनर (प्रशासन) आयुक्त कर / महानिरीक्षक, कार्यालय स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

शासन की पूर्व अधिसूचनायें संख्या-1227 / XXVII(5) / व्या०कर / 2005 दिनांक 13.10.2005 एवं संख्या-631 / XXX(8) / वाणिज्य कर / 2007 दिनांक 19.10.2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, अधसूचना की शेष शर्तें व अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।